(81)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्ष : मनोज गोयल,

## अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1485–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार मल्हारगंज तहसील व जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 2/अ–27/2014–15

.....

1–ओमप्रकाश पिता देवदत्त
2–अनिल पिता देवदत्त
निवासी नौगांव धार जिला धार

..... आवेदकगण

**विरूद्ध**

1–विद्याशंकर पिता देवदत्त
निवासी शुक्ला कॉलोनी धार
2–अशोक पिता देवदत्त
निवासी शुक्ला कॉलोनी धार
3–शांताबाई पिता देवदत्त
निवासी उत्तरटोला सीधी
4–श्रीमती नीता पिता देवदत्त
निवासी महेश्वर जिला खरगोन
5–प्रवीण पिता देवदत्त
निवासी सिरपुर जिला इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री ओ0पी0शर्मा एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषकगण–अनावेदक कमांक 1 से 4

.....

# :: आदेश ::

( आज दिनांक 13/11/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार मल्हारगंज तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार इंदौर के समक्ष उनके स्वत्व एवं स्वामित्व की ग्राम सिरपुर तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 446 रकबा 0.069 एवं 455 रकबा 0.085 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–27/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–10–16 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना हुआ है इसलिये संहिता की धारा 178 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा बटवारे की कार्यवाही प्रचलित रखने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान नहीं बने है और उभयपक्ष के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि होने से बटवारा आवश्यक है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अभी साक्ष्य ली जा रही है और साक्ष्य से ही यह प्रमाणित हो सकता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 178 के प्रावधान लागू होते है कि नहीं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है । बटवारा फर्द एक तरफा अनावेदक पक्ष के कहने पर तैयार की गई है, ऐसा बटवारा फर्द में ही उल्लेख किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के

साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनकर ही बटवारा फर्द तैयार कर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मल्हारगंज तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर बटवारा फर्द तैयार कर बटवारा आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर